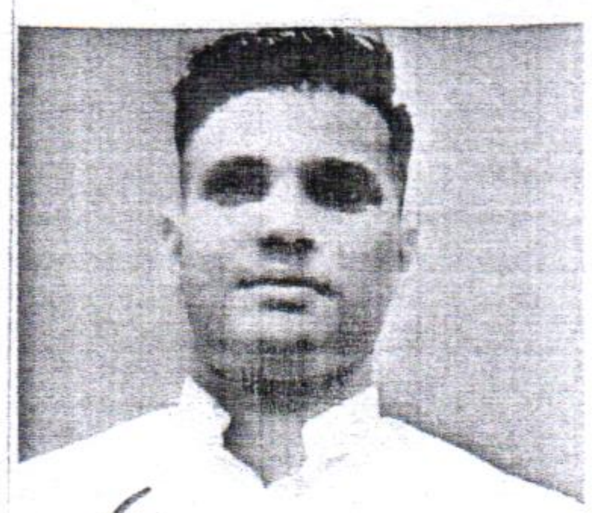

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

आदेश

संo– 4227 दिनांक– 01.08.25

निदेशक

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के परिपत्र संo–13293, दिनांक–05.10.1991 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं जिला अनुकम्पा समिति, मुजफ्फरपुर की अनुशंसा ज्ञापांक–340/स्था0, दिनांक–22.02.2025 के आलोक में **श्री मुकेश कुमार दास,** (पिता–स्व0 श्रवण दास, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर), जन्म तिथि–25.06.2001, स्थायी पता–ग्राम/मोहल्ला–बरना, वार्ड सं0–03, पोस्ट–बरना, प्रखंड–कुशेश्वर स्थान, अनुमंडल–बिरौल, जिला–दरभंगा–848213, आरक्षण कोटि–अत्यंत पिछड़ा वर्ग को **वेतन स्तर–2** तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर अस्थायी रूप से **निम्न वर्गीय लिपिक** के पद पर नियुक्त करते हुए **सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा** में पदस्थापित किया जाता है।

यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
2. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी से निर्गत इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में किसी प्रकार का दण्ड नहीं हुआ है तथा वर्त्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
4. योगदान के समय दहेज न लेने–देने के संबंध में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित के भरण–पोषण का पूर्ण दायित्व होगा तथा मृतक के आश्रित की देखभाल में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
6. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–1964, दिनांक–31.08.2005 (समय समय पर यथासंशोधित) के अनुसार इन पर नयी पेंशन योजना लागू होगी।
7. योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्ट्या नियुक्ति पत्र से संतुष्ट होने के उपरांत ही कर्मचारी का योगदान 3 (तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेंगे एवं नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है, तो इनके वेतन की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

8. नियुक्ति के पश्चात् किसी भी समय शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के फर्जी पाये जाने पर अथवा नियुक्ति के दावे के संबंध में फर्जी या जालसाजी का मामला संज्ञान में आने पर बिना कारण पृच्छा के सेवा समाप्त करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

9. आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से योगदान सुनिश्चित करना होगा।

10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

ह०/31/3/25

(अहमद महमुद)

निदेशक

ज्ञापांक– वि० प्रा० (IV) स्था0–02/2024/ /पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. जिलाधिकारी –सह– अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुजफ्फरपुर को उनके पत्र ज्ञापांक–340/स्था0, दिनांक–22.02.2025 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. प्राचार्य, मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. प्राचार्य, सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. **श्री मुकेश कुमार दास,** (पिता–स्व0 श्रवण दास, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर), स्थायी पता–ग्राम/मोहल्ला–बरना, वार्ड सं0–03, पोस्ट–बरना, प्रखंड–कुशेश्वर स्थान, अनुमंडल–बिरौल, जिला–दरभंगा–848213 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/31/3/25

निदेशक